

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवशी नगर,
पटना-800023 ।

पटना, दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26 03 2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गिरिजा देवी पति- शंकर मडल ग्राम- अदालतगज झुगी झोपडी पो0- जी0पी0ओ0 थाना- कोतवाली जिला- पटना	ट्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
			45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 45,000/- (पैंतालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं0 176858.... मूल रूप में सलग्न
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code-

SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

7 पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 908(14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी०सी० कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उर्मिला देवी पति— परमेश्वर ठाकुर ग्राम— दीदारगज पटना सिटी पो०— कटरा बाजार समिति थाना— मालसलामी जिला— पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	मुनिया देवी पति— जयनदन चौधरी ग्राम— मानपुर बैरिया पो०— बैरिया थाना— गोपालपुर जिला— पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सुदामा देवी पति— रघुनी महतो ग्राम— करमलीचक पटना सिटी पो०— माधव मिल्स थाना— मालसलामी जिला— पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	मजू देवी पति— राज कुमार साह ग्राम— साव जी के पेट्रोल पम्प वाली गली दीदारगज पटना सिटी पो०— पटना सिटी थाना— मालसलामी जिला— पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	जवाहर सिंह पिता- गगाविष्णु सिंह ग्राम- गौहरपुर पो0- कोठिया थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
6	मीणा देवी पति- रामचंदन मिस्त्री ग्राम- गौहरपुर पो0- कोठिया थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	मोहित कुमार पिता- पारस प्रसाद ग्राम- किला रोड पटना सिटी पो0- पटना सिटी थाना- चौक थाना जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	विष्णु देवी पिता- डोमन राय ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	बैजू दास पिता- लगनदेव राय ग्राम- हेमतपुर पो0- रूस्तमपुर थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	लाला देवी पति- विश्वनाथ दास ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	चदेश्वर सिंह पिता- सुगम्बर सिंह ग्राम- निजामपुर पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	राजकुमारी देवी पति- बालेश्वर राय ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	मुशी सिंह पिता- जग नारायण सिंह ग्राम- गौहरपुर पो0- कोठिया थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	हरबश महतो पिता- प्रभु महतो ग्राम- गुलमहिया चक पो0- सबलपुर थाना- नदी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	शंकुन्तला देवी पति- विनोद चौधरी ग्राम- दीदारगज पो0- कटरा बाजार समिति थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	राजू महतो पिता- राम प्रसाद महतो ग्राम- दीदारगज पो0- कटरा बाजार बाजार समिति थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	शकुता देवी पिता- कपिल देव राय ग्राम- पुरोसोत्तमपुर पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	पारवती देवी पति- अशर्फी राय ग्राम+पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	विगनंदन सिंह पिता- हरी सिंह ग्राम- नत्थाचक पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	मानती देवी पति- सरयुग सिंह ग्राम- निजामपुर पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	बालेश्वर सिंह पिता- सुखन सिंह ग्राम- निजामपुर पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	कौशल्या देवी पति- रामेश्वर रविदास ग्राम- मानपुर बैरिया पो0- बैरिया थाना- गोपालपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	विमला देवी पति- रामईश्वर पासवान ग्राम- दीदारगज पो0- कटरा बाजार समिति थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	सरोज कुमारी पति- भरत प्रसाद ग्राम- आलमपुर पो0- कच्चीदरगाह थाना- नदी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	धनमा देवी पति- मुनिलाल पासवान ग्राम- उत्तरी चिरैया पो0- कला दियारा थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	धनराज कुमार पिता- सुरेश प्रसाद ग्राम- सिमली पण्झीबा छोटा मंदिर पटना सिटी पो0- भाधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	शकुंतला देवी पति- हरदेव राय ग्राम+पो0- विशुनपुर थाना- बेउर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	सविता देवी पति- बीरेद्र कुमार ग्राम- नया टोला खिरोधपुर पो0- फतुहा थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	अनार देवी पति- रामबली सिंह ग्राम- नया टोला खिरोधपुर पो0- फतुहा थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

30	कमला सिंह पिता- व्यास सिंह ग्राम- नत्थाचक पो0- कच्चीदरगाह थाना- नदी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	चिता देवी पति- हरिलाल सिंह ग्राम- नत्थाचक पो0- कच्चीदरगाह थाना- नदी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	शत्रुघ्न साव पिता- बाके साव ग्राम- गुलमहियाचक पो0- सबलपुर थाना- नदी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	सुदरी देवी पति- अनिल दास ग्राम- रानीपुर गज पटना पो0- पटना सिटी थाना- मेहदीगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	मालती देवी पति- राम बाबू दास ग्राम- बेल दर टोली लोहा का पुल मुगलपुरा पो0- झाऊगज थाना- मेहदीगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	मुन्नी देवी पति- शत्रुघ्न कुमार ग्राम+पो0- कोरारी थाना- नगरगोसा जिला- नालदा	नेत्र रोग सर्जरी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
36	उमा देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम- नवारा पो0- महमदपुर थाना- एन0टी0पी0सी0 जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	परजुआ देवी पति- राम बचन राम ग्राम- भेलावर पो0- तेजबिगहा थाना- काको जिला- जहानाबाद	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

38	पवित्र राय पिता- गणपत राय ग्राम- पुरुसोत्तमपुर पो0- जफराबाद डीह थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
39	रूपन ठाकुर पिता- ब्रह्मदेव ठाकुर ग्राम+पो0- डिहरी गढ थाना- हरनौत जिला- नालदा	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
40	मजू देवी पति- इदल महतो ग्राम- नियर बाजार बेलाही नीलकठ ग्राम- बेलाही नीलकठ थाना- रुन्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
41	गनौरी प्रसाद यादव पिता- गोरख सिंह ग्राम- रायबाग पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगंज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
42	सुमित्रा देवी पति- भेखा राय ग्राम- सैदपुर हुलास पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
43	देव दास पिता- प्रदीप दास ग्राम- सुकुमरपुर पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
44	देवनदन राय पिता- थगन राय ग्राम- पुरोस्तमपुर पो0- जफराबाद डीह थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
45	शकीला देवी पति- रामबाबू राय ग्राम- जफराबाद डीह पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

46	राजू साहनी पिता- केवल साहनी ग्राम- मल्हाटोली पो0- सबलपुर थाना- नदी जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
47	माया देवी पिता- जयकिशुन दास ग्राम- बहरामपुर पो0- सैस्तापुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
48	लालबाबू कुमार पिता- कृष्णा प्रसाद ग्राम- दीदारगज ओवर ब्रिज के पास पो0- पटना सिटी थाना- दीदारगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
49	सुरेश चौधरी पिता- रामधीन चौधरी ग्राम- दराटपुर पो0- कोठिया थाना- दीदारगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
50	कृपाली महतो पिता- बालचंद महतो ग्राम+पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
51	सुशीला देवी पति- महेन्द्र सव ग्राम+पो0- बदरवाली थाना- चंडी जिला- नालंदा	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
52	कैलाश राय पिता- निर्गुण राय ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
53	सुखी देवी पति- राम चंद्र दास ग्राम- शरीफगज नरू टोला पो0- पटना सिटी थाना- मालसलामी जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6

54	तेतरी देवी पति- राम पदार्थ महतो ग्राम- जफराबाद टोक पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
55	सरिता देवी पति- टुन्ना राय ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
56	लालमुनि देवी पति- लालबाबू राय ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
57	शारदा देवी पति- महेशर साह ग्राम- जुडावनपुर बरारी पो0+थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
58	पतिया देवी पति- माथुर सिंह ग्राम- खिरोधरपुर पो0- फतुहा थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
59	दुलारी देवी पति- नगीना राय ग्राम- मखनिया गली झाउगज पो0- झाउगंज थाना- चौक जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
60	प्रमिला देवी पति- लाल बाबू यादव ग्राम- गुलमाहियाबाग पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
61	जिमीलाल राय पिता- भोला राय ग्राम+पो0+थाना- रूस्तमपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
62	राम ईश्वर ठाकुर पिता- सीता ठाकुर ग्राम- जफराबाद डीह पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

63	नगीना राय पिता- नवाब राय ग्राम- जफराबाद टोक पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
64	अनिशा कुमार पिता- दहाउर दास ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रुस्तमपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
65	लगनदेव राय पिता- राजा राय ग्राम- हेमतपुर पो0+थाना- रुस्तमपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
66	प्रभा देवी पति- बालेश्वर महतो ग्राम+पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
67	रघुबस महतो पिता- प्रभु महतो ग्राम- गुलमाहिया चक पो0- सबलपुर थाना- नदी जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
68	रामजानकी देवी पति- नेमधान राय ग्राम+पो0- जफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
69	बाल्कीमि महतो पिता- दसरथ महतो ग्राम- बरी पहाडी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
70	मीणा देवी पति- राम बल्लब सिंह ग्राम- अकौना पो0- खैनिया थाना- भगवानगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
71	कृष्ण मुरारी पिता- स्व0 राम सुन्दर साह ग्राम- विद्यापति कॉलोनी पो0- जी0पी0ओ0 थाना- कोतवाली जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

72	हरिनदन पासवान पिता- चिलातर पासवान ग्राम- लोदीपुर पो0+थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
73	सुगिया देवी पति- विजय रबिदास ग्राम- शाहपुर पो0- मझौली थाना- सालीमपुर जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
74	भारत सिंह पिता- सुख देव सिंह ग्राम- नत्थाचक पो0- कच्चिदारगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
75	लाधो देवी पति- सकलदेव सिंह ग्राम- नत्थाचनक पो0- कच्चिदारगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
76	रामरती देवी पति- रामलखन दास ग्राम- उदयपुर पो0- नादघाट थाना- गौरीचक जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
77	मातती देवी पति- बृजनंदन पंडित ग्राम- माधोपुर पो0- रूकुनपुर थाना- दीदारगंज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
78	विमल देवी पति- सुरेश साव ग्राम- भैसानी टोला मालसलामी पो0- बेगमपुर थाना- मालसलामी जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
79	सुरेश ठाकुर पिता- सिपाही ठाकुर ग्राम- देदौरा पो0+थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

80	शकुन्ति देवी पति- बिरजे पासवान ग्राम- देदौरा पो0+थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
81	राम भरोसे यादव पिता- राजा राम यादव ग्राम- रिकाबगज पो0- कटरा बाजार समिति थाना- दीदारगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
82	रूपनाथ दिन्द पिता- जुगुदु बिन्द ग्राम- दक्षिणी मदिरी पो0- जी0पी0ओ0 थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			8,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,50,000 /- (आठ लाख पचास हजार) मात्र का क्रास चेक सं० . . .
196859 मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 910(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आईटी0 मैनेजर
स्वास्थ्य विभाग/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक. .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	शगुफता खातुन पति-इसराक अहमद ग्राम-लोहजीरा पो0+थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 2322	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	शम्भु प्रसाद सिंह पिता-राम अशीष सिंह ग्राम+पो0-पुरषोतमपुर थाना-मनियारी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 89247	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	आशा देवी पति-मोहन महतो ग्राम-सरिसवा बाजार पो0-सरिसवा थाना-मझौलीया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 90280	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	ममता देवी पति-मनोज यादव ग्राम+पो0-माली थाना-बेलदौर जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 90893	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

६

5	अवधेश राय पिता-जगरनाथ राय ग्राम-धूसर महाराजी टोला पो0+थाना-टीकापट्टी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 88044	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	राज कुमार राय पिता-रामधन राय ग्राम+पो0-लादुगढ थाना-जानकी नगर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 90028	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रंजित सिंह पिता-जय राम सिंह ग्राम-लोक नाथ बैरवाँ पो0-बैरिया थाना-माली जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 90843	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	हेमन देवी पति-ललन सिंह ग्राम-डबरिया पो-मंगलपुर गुदरीया थाना-नौतन जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 86301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	बौआवटी देवी पति-छोटे लाल सिंह ग्राम+पो0-अलिनगर थाना-सूर्यगढा जिला-लखीसराय एम0सी0एस-ई0 36851	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	राकेश कुमार पिता-सतन सिंह ग्राम-मुजा पोस्ट-मुजा पटरहिया थाना-सरैया जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 90087	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	स्वास्तीक कुमार पिता-धर्मेन्द्र कुमार ग्राम-भरेती पो0-योगीपुर थाना-हिलसा जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 91060	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सगीता देवी पति-उदय कुमार पडित ग्राम-पोस्ट-लाला भदसारा थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 19566	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
13	टिकु कुमार पिता गोरख पासवान ग्राम-रुकनपुरा बेली रोड पटना पो0-बी0भी0 कालेज थाना-रूपसपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 88848	बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
14	बिटटु कुमारी पति-अश्विनी चौधरी ग्राम-पो0-भगवानपुर थाना-भगवानपुर पुलिस जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 83616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	राम नदन महतो पिता-अनिक महतो ग्राम-विष्णुपुर पो0-मिर्जापुर बणद्वार थाना बेगुसराय टाउन जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 89962	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	छटु पासवान पिता-स्व0 नन्दु पासवान ग्राम-बडी नगला बगीचा पटना सिटी, पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 85286	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	शोभा देवी पति-श्याम देव मोची ग्राम-पो-नेउरा थाना-बिहटा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 89650	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	गीता देवी पति-सुरेश राउत ग्राम-छोटकी डेलहा वार्ड 03 पो0-आर0एस0 गया थाना-डेलहा जिला-गया एम0सी0एस-ई0 76974	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

19	लालती देवी पति-ईश्वर दयाल सिन्हा ग्राम-मनेर तेलपा वार्ड 09 पो0+थाना-बिक्रम जिला पटना एम0सी0एस-एफ 85279	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
20	मेहरून निशा पति-मो0 सलीम अंसारी ग्राम-बभनौल पो0-बभनौल थाना-दावत जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 89929	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	मन पातो देवी पति-रामजी पासवान ग्राम-सरना टोला वार्ड 2 पो0-भुलनी धाम थाना-दिनारा जिला रोहतास एम0सी0एस-एफ 89918	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सुगिया देवी पति-सैना यादव ग्राम-मसियाडीह पो0-अन्दी थाना-बिद जिला-नालंदा एम0सी0एस-एफ 88963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	विजय मुखिया पिता-लखन मुखिया ग्राम-जाखड गोवारा वार्ड 18 पो0-'जाखड थाना-शिवजी नगर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 89451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रुबी देवी पति-राजन कुमार सिंह ग्राम-फुलवरीया टोले गनौर सिंह पो0-फुलवरिया थाना-मकेर जिला सारण एम0सी0एस-एफ 7133	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
25	मीरा देवी पति-शशि भुषण प्रसाद ग्राम-महमदाबाद सराय पोस्ट+थाना-सराय जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 82531	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

26	प्रतिमा देवी पति-सहदेव शर्मा ग्राम-खवाजेपुर वार्ड 5 पो0-खवाजेपुर थाना-यादोपुर जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 37812	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
27	सतानी देवी पति-झुबरा शर्मा ग्राम-बसिया पो0-गागर घोस थाना-बायसी जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 84123	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
28	देवन्ति देवी पति-राजेन्द्र यादव ग्राम+पो0-फरीदपुर थाना-हुसैनगज जिला सीवान एम0सी0एस-एफ 67301	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
29	गीताजली देवी पति-अनिल साह ग्राम-राहर दियारा पो+थाना-सोनपुर जिला सारण एम0सी0एस-एफ 91048	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	धीरज कुमार पिता-भरत साह ग्राम-पानापुर वार्ड 13 पो0-रसौली थाना पानापुर जिला-सारण एम0सी0एस-डी0 64585	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
31	कान्ती देवी पति-कृष्ण नन्दन महतो ग्राम+पो0-अजगरवा थाना-पकडी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-ई0 66731	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
32	चदा देवी पति-अर्जुन पासवान ग्राम-काजियाना पो0-बहेडा थाना-बहेडा जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 89377	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	रामो देवी पति-चुमित लाल मुखिया ग्राम-खुशियाली पो0-गणेशपुर थाना-मरोना जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 9519	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
34	रामचन्द्र चौधरी पिता-स्व0 हसन चौधरी ग्राम-दुधैला पोस्ट-सुदरगज थाना-रिसियप जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 90244	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
35	स्वामी उमेशानन्द पिता-स्व राम सजीवन चौधरी ग्राम-शिव शक्ति पीठ पुण्डरीक पो0-पुनौरा थाना-पुनौरा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 81300	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
36	शबनम खातुन पति-मो0 दिलशाद ग्राम+पो0-मगरहरी थाना-शिकारपुर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 70733	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
37	काजल कुमारी पति-श्रवण कुमार लाल ग्राम-हरपुर बरहेता वार्ड 05 पो0-हरपुर बरहेता थाना-सराय रजन जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 91030	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	गौलेरिय खातुन पति आजम मिया ग्राम-बेलवतीया पो0-सुकुल पाकर थाना-सुगौली जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 90272	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	सरोज देवी पति-श्याम सुन्दर पाण्डेय ग्राम-अमावां पोस्ट-बशगोपाल थाना-रजौली जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 90648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	लक्ष्मी देवी पति—जग्गा महतो ग्राम—पोखरैरा पो0—गिद्धा थाना—सरैया जिला—मुजफ्फरपुर एम0सी0एस—एफ 90336	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
41	अनुपम देवी पति—रोहित सिंह ग्राम—पो0—सलारपुर थाना—परबता जिला खगडिया एम0सी0एस—एफ 90322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	मनीता देवी पति—ललन महतो ग्राम+पो0—गोही थाना—वारिस नगर जिला—समस्तीपुर एम0सी0एस—एफ 89370	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	जितेन्द्र राय पिता—राजाधारी राय ग्राम—जमुआव पो0—कुकुडा थाना—ईटाढी जिला—बक्सर एम0सी0एस—एफ 45169	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
44	काजोल कुमारी पति—अभिषेक कुमार ग्राम—नक्क नगर जमालपुर पो0+थाना—जमालपुर जिला—मुगेर एम0सी0एस—एफ 75562	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
45	मास्टर शिवम कुमार पिता—बगाली राम ग्राम—पटेल चौक पो0—बेगुसराय थाना—बेगुसराय टाउन जिला—बेगुसराय एम0सी0एस—एफ 91359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	अकीला बेगम पति—मो0 गियास उद्दीन ग्राम—कलक टोली गागी पो0—गागी हाट थाना—बहादुरगज जिला किशनगज एम0सी0एस—एफ 9892	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

47	लगनी देवी पति-रामाधार राय ग्राम-रामपुर शेरपुर पो0-शेरपुर थाना मनेर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 91283	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	मजु देवी पति-शकर पोद्दार ग्राम-राजीव नगर रोड न0-8 पो0-कैसरी नगर थाना-राजीव नगर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 68340	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
49	मनीष चौधरी पिता-गनौरी चौधरी ग्राम-अमीपुर पो0-ओरहनपुर थाना-नवादा जिला नवादा एम0सी0एस-ई0 33591	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	रवि कुमार पिता-शशि नाथ ग्राम-स्टेशन रोड बख्तियारपुर वार्ड 09 पो0+थाना-बख्तियारपुर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 88766	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	लक्ष्मी मंडल पिता-भैया लाल मंडल ग्राम+पो0-लालमनपती थाना-रतनपुरा जिला सुपौल एम0सी0एस-एफ 90816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	अनिल गुप्ता पिता-स्व0 चन्द्रशेखर साह ग्राम-फतेहपुर पो0- सिवान थाना-नगर जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 88697	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	सीता देवी पति-रामदेव सहनी ग्राम-सतलखा डीह टोल पोस्ट+थाना-रहिका जिला मधुबनी एम0सी0एस-एफ 87440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	रजो देवी पति-नरेश मडल ग्राम+पो0-पकरी थाना-पलासी जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 89851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	शनि राज पिता-निरजन दास ग्राम-सूढनी पो0-सोलरा थाना-परैया जिला गया एम0सी0एस-एफ 91000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	कुमिया देवी पति-छोटा जीछु ग्राम-नौवाटोली पो0+थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 89656	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	पवन कुमारी पति सजय कुमार यादव ग्राम-सिमरा पो0-सागी थाना-फुलपरास जिला मधुबनी एम0सी0एस-एफ 87100	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	पुनम देवी पति-अरजय सिंह ग्राम+पो0-सिकरीया थाना-पालीगज जिला पटना एम0सी0एस-एफ 74956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	श्याम सुन्दरी देवी पति-ओम प्रकाश खरवार ग्राम+पो0-दुल्लुपुर थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 90495	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	अवधेश कुमार सिन्हा पिता-सच्चिदानंद सिन्हा ग्राम-कडरा पो0-बसंतपुर थाना-मुफसिल जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 87275	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	सुनील यादव पिता-विनेश्वरी यादव ग्राम-भिट्टा पो0+थाना-इस्माइलपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 87310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	रजीत साह पिता-किशोरी साह ग्राम+पो0-जाखर थाना-रोसडा जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 89453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	तारा देवी पति-राम बच्चन ठाकुर ग्राम+पो0-नौला था-बीरपुर पी0एस0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 85370	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	श्याम सुन्दर चौहान पिता-बाबु लाल चौहान ग्राम-तेलौन्धा वार्ड 09 पो0-जगतपुर थाना-धोरैया जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 90615	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	जमालुदीन मियॉ पिता-गफुर मियॉ ग्राम+पो0-खैरावार थाना-रिविलगंज जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 89545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	राम सेवक राम पिता-देव नारायण राम ग्राम-चतुरगपुर काथन पो0+थाना-महुआ जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 91200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	बिजान्ती देवी पति-चुन्नी लाल प्रसाद ग्राम+पो0-सहलौर थाना-सराय ओ0पी जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 48302	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

68	बलवीर पासवान पिता-विष्णु पासवान ग्राम-बसतपुर ककरहटा पो0 धोबैली थाना-बिदुपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 76602	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
69	चंदन कुमार पिता-कमलेश कहार ग्राम+पो0-जमोढी थाना-बिक्रमगज जिला रोहतास एम0सी0एस-एफ 90616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	ललीता देवी पति-उमेश यादव ग्राम-मच्छागर जगदीश टोला कोइरौली वार्ड 04, पो0-हथुआ थाना-हथुआ जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 55425	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
71	नैना देवी पति-देवानन्द सिंह ग्राम-शेर पो0-बिशुनपुरा थाना-सिधवलिया जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 88404	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	कुमारी सध्या पति-राज कुमार ग्राम-सैदपुर वार्ड 12 पो0-करौटा थाना-सालीमपुर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 90886	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	ओम प्रकाश महतो पिता-राम ध्यान महतो ग्राम-किसनीचक वार्ड 10 पो0-अम्मापाली थाना-ईशीपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 91291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	सुमित कुमार साह पिता-दिलिप साह ग्राम-निफातपुर कचोरा पो0-कन्हरिया थाना-डगरूआ जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 83110	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

75	बच्ची देवी पति-महावीर राम ग्राम-पो0-पडारक थाना-पडारक जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 99348	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	प्रेमा देवी पति-बासुदेव महतो ग्राम-नौतनवा पो0-सेमरी जुमरी थाना-गोवर्धना जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 90091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	धरकषण प्रसाद पिता-दुलारचंद प्रसाद ग्राम-बेलदारीचक वार्ड 06 पो0-कसारी थाना-गौरीचक जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 88010	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
78	बबीता कुमारी पति-अरुण कुमार ग्राम-डिहुरी पो0-चुरी थाना-चन्दौती जिला-गया एम0सी0एस-एफ 85519	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	रेखा देवी पति-उपेन्द्र भगत ग्राम-लक्ष्मीपुर पो0-माने थाना दाउदपुर जिला सारण एम0सी0एस-एफ 70236	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
80	हदीसन बीबी पति-महम्मद मुस्लिम ग्राम-तिवारी मटिहनिया वार्ड 1 पो0-सेपाया थाना-विश्मीरपुर जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 90128	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
81	फुलसरी देवी पति-राम सागर माझी ग्राम-चनावे पो0-लछवार थाना- थावे जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 89682	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	दीपक कुमार पिता-स्व० मुन्ना प्रसाद ग्राम-रानी बाजार कौवाकोल पोस्ट+थाना-कौआकोल जिला नवादा एम०सी०एस-डी० 65030	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
83	मीता देवी पति-वशिष्ठ झा ग्राम+पो०-बिशनपुर थाना-डडारी जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-एफ 90188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	बीबी चुन्नी खातुन पति-मो० हलीम ग्राम-कुर्मा वार्ड 05 पो०-धोरैया थाना-धोरैया जिला बाका एम०सी०एस-एफ 78658	कैसर रोग	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
85	शकर ठाकुर पिता-तेज नारायण ठाकुर ग्राम+पो० भरको थाना-अमरपुर जिला-बाका एम०सी०एस-एफ 89835	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	सीता कुमारी पिता रामा राय ग्राम-भानपुर बरेवा पो०-पडमौल थाना गोरौल जिला वैशाली एम०सी०एस-एफ 89715	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	विमला देवी पति-सुरेन्द्र सिंह ग्राम-पो० चकिया थाना-सिकरहौता जिला-भोजपुर एम०सी०एस-एफ 88514	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	सुरेश सिंह पिता- शीला नाथ सिंह ग्राम- सिरिसिया मणि पो०- हुस्सेपुर थाना- अमनौर जिला- सारण एमसीएस न०- एफ 85816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	बिभु श्रीवास्तव पति/पिता- रजय कुमार ग्राम- रूकुनपुरा आशर्द बिहार कॉलोनी पो०- बी०वी० कॉलेज थाना- दानापुर जिला- पटना एमसीएस न०- एफ 87202	कैसर रोग	80,000 	अस्सी हजार स्वीकृत।

90	विमला देवी पति- विनय कुमार ग्राम+पो- केशोपुर थाना- हिलसा जिला- नालदा एमसीएस न0- ई 75988	कैंसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			65,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,05,000/- (पैसठ लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 19684 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 887(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनुराधा सिन्हा पति- बासुकीनाथ ग्राम- हिन्दुनी पो०- आलमपुर गोनपुरा थाना- फुलवारी जिला- पटना सीआर न०- अंकित नहीं है।	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	कुदन कुमार पिता- सुदामा राम ग्राम- दुधैला पो०+थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न०- 108112400496292	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	महेन्द्र यादव पिता- रूपन यादव ग्राम- रतनी पो०- तेघडा थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर सीआर न०- 108112500501919	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राकेश गोड पिता- कमलेश गोड ग्राम+पो०- पिहुली थाना- असौव जिला- सिवान सीआर न०- 108112500658222	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	रीना कमारी पति- सुभाष कुमार प्रसाद ग्राम- पिलुई पो0+थाना- दाउदपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112500430949	Tympano plasty	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	कमरून निशा पति- मो0 बसीर खान ग्राम+पो0+थाना- पिरो जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112401545386	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	लता देवी पति- सुरेद्र शर्मा ग्राम- चदोखर पो0- खटांगी थाना- कुर्था जिला- अरवल सीआर न0- 108112401074618	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	मजू देवी पति- परमानन्द सिंह ग्राम+पो0- जैतपुर थाना- बडहिया जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112300873463	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	रामधारी राय पिता- युगेश्वर राय ग्राम- शेरपुर ढेपुरा पो0- विद्यापति नगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112403082014	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	सरस्वती देवी पति- असेश्वर सिंह ग्राम- अलावलपुर वार्ड 04 पो0- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर नं0- 108112301079981	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	घुरण महतो पिता- मुनर महतो ग्राम- बदौली वार्ड 05 पो0- पटपारा उत्तर पो0- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300186946	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	विनोद कुमार पिता— परमेश्वर राम ग्राम— पचम कुज मोहनपुर पुनर्वाचक वार्ड 20 पो0— शास्त्रीनगर जिला— पटना सीआर न0— 108112500553412	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			8,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,75,000/— (आठ लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196861~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0—503 2011 9556 खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना” खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 888(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196861~~की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अन्नपूर्णा देवी पति- स्व० केशव चन्द्र पाण्डेय ग्राम- सतोषी माँ मंदिर के सामने खड़ा कुआँ पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	रजीत कुमार पिता- उपेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम- बरैठ वार्ड 13 पो०- बरैठ थाना- बसनही जिला- सहरसा	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अन्नू देवी पति- सुधीर महतो ग्राम+पो०- दक्षिणी धमौन थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

D

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सर्वाधिकतम मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 889 (14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176861... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रणधीर कुमार पिता- स्व० गणेश सिंह ग्राम- रोजापर पो०+थाना+जिला- अरवल	हीप रिप्लेसमेंट	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	रिकी कुमारी पति-रमेश कुमार ग्राम-लेखा नगर यशोदा कॉलोनी नियर द त्रिभुवन स्कूल दानापुर, पो०-खगौल थाना-दानापुर जिला-पटना	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	कृष्णा कुमार माथुर पिता-परमेश्वर राम ग्राम-अदर बाजार बेलागज वार्ड 01, पोस्ट+थाना-बेलागज जिला-गया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	चेत नारायण साह पिता-शिबु साह ग्राम-मझौरा पोस्ट-छजना थाना लौकही जिला मधुबनी	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	पंकज कुमार पिता-राम सुरेश सिंह ग्राम+पो0-पिटरो थाना-अगियाव बाजार जिला भोजपुर	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
6	श्रीपती देवी पति-गुलाब यादव ग्राम-पचभीडीया पो0-बेला थाना-रामगढवा जिला पूर्वी चम्पारण	नी रिपलेस्मेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
7	रामनाथ राय पिता-शिवजी राय ग्राम-वार्ड न-9 दौलतगंज पो0-छपरा थाना-भगवान बाजार जिला-सारण	हिप रिपलेस्मेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	नितेश कुमार पिता-दशरथ राय ग्राम-उजरी सेदुआरी पो0-सेदुआरी थाना-मढौरा जिला-सारण	प्लास्टिक सर्जरी	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
9	शुभम कुमार पिता-सीता राम मडल ग्राम-माधोपुर वार्ड 17 पो0-बासुदेवपुर थाना-बासुदेवपुर जिला-मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रणवीर कुमार पिता-केदार यादव ग्राम-तेतरी वार्ड 12 पो0-तेतरी थाना-डंडारी जिला-बेगुसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	आकृति कुमारी पिता-बिटटु कुमार ग्राम-उसरी डीह पोस्ट-उसरी थाना-मेंहदिया जिला अरवल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	प्रियांशी कुमारी पिता अम्बुज कुमार ग्राम+पो0-देवकुलीधाम थाना-बिरौल जिला दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	अरुण मिस्त्री पिता-जीवल मिस्त्री ग्राम+पो0-धनार थाना-चन्द्रदीप जिला-जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	हरिनाथ राउत पिता-प्रशुराम राउत ग्राम-खरौटी वार्ड 1 पोस्ट+थाना-तरैया जिला-सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	रुद्र प्रताप यादव पिता-सजीत कुमार यादव ग्राम-चदा वार्ड 6 पो0-गजराजगज थाना-मुफसिल जिला भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सरिता देवी पति-विश्वनाथ शर्मा ग्राम-अरजल वार्ड 07 पो0-कोल्हुआ थाना-पचरुखी जिला-सीवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	अनीश कुमार पिता-मुरारी प्रसाद ग्राम-गोपालपुर मठ पो0-नदौल थाना-मसौढी जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	पुनम देवी पति-अजय गुप्ता ग्राम-पचवटी चौक गगजला वार्ड 17, पो0+थाना-सहरसा जिला-सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	अन्नु कुमारी पिता-भगवान यादव ग्राम-सवरेजी पो0-मीरगज थाना-मीरगज जिला-गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	अनिता देवी पति-रजीत पासवान ग्राम-भवानीपुर पो0-गगेया थाना-कटरा जिला-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

21	सोनवा देवी पति-महावीर पासवान ग्राम-कसिया वार्ड 09 पो0-कसियं थाना-डुमराव जिला-बक्सर	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
22	ललन प्रसाद पिता-गोपालजी प्रसाद ग्राम-सिहौता बाजार वार्ड 5 पो0-महराजगं थाना-महराजगज जिला सीवान	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
23	कुन्ती देवी पति-प्रभुनाथ महतो ग्राम-डुमरी पो0-खैरा थाना-खैरा जिला-सारण	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
24	पुष्पा सिंह पति रत्नेश सिंह ग्राम-सुल्तानपुर वार्ड 14 पो0-सुल्तानपुर थाना-देसरी जिला-वैशाली	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
25	प्रवीण राउत पिता श्रीकान्त राउत ग्राम-बीटी0 लेन वार्ड 02 पो0-चम्पा नगर थाना-नाथ नगर जिला भागलपुर	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
26	श्लोक सिंह पिता-सुर्य नारायण सिंह ग्राम-पो0-रबैय थाना-सिकन्दरा जिला जमुई	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
27	मनोज कुमार शर्मा पिता-श्याम नाथ शर्मा ग्राम+पो0-साँढा थाना-मुफसिल जिला सारण	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
28	ललिता देवी पति-बलिराम दुबे ग्राम-कोरियापट्टी वार्ड 06 पो0-भैयापट्टी थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबनी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

29	मो० अनवर पिता मो० इदु ग्राम-पटना साहेब नुन का चौराहा कधैया टोला पो-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
30	सानो देवी पति-सुरेश चौधरी ग्राम-पुनावो पो०-वजीरगंज थाना-वजीरगंज जिला-गया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
31	मो० मशराफ असारी पिता-बजायत हुसैन ग्राम-शामपुर वार्ड 12 पो०-नारायणपुर थाना-ईशीपुर जिला भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
32	सलमा खातुन पति-मो० हारून रशीद असारी ग्राम-औढा माल वार्ड 15 पो०-भुआलपुर थाना-गरखा जिला सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
33	नाजरीन बानो पति-मो० इम्तीयाज खा ग्राम-रामपुर भरेथा पो०-अमौना थाना-कछवा जिला-रोहतास	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
34	बीबी रशीदा पति-मो० बदरु ग्राम-अहमदखानी वार्ड 10 पो०-पुरैनी थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
35	राधा देवी पति-जीवछ महतो ग्राम-बिथान वार्ड 10 पो०-बिथान थाना-बिथान जिला-समस्तीपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
36	मो० तौशीफ हुसैन पिता-मो० सिराजुद्दीन ग्राम-बक्शी मैदान पटना सिटी, पो०-बेगमपुर थाना-चौक जिला-पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

37	सुधा देवी पति-राकेश कुमार ग्राम-जानकी स्थान वार्ड 7 पो0-सीतामढी थाना+जिला सीतामढी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	सुशीला देवी पति-आनन्द कुमार ग्राम-गोखुला पो0-बारा थाना-भगवानगज जिला-पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
39	मनीलाल जी पिता स्व0 करधनी साह ग्राम-जय राम बाजार 23 पोस्ट+थाना-खगौल जिला-पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
40	माला देवी पति-दया शकर प्रताप ग्राम-मानुपुर मंझन वार्ड 11 पो0-रसलपुरा थाना-डोरीगज जिला सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
41	किरण देवी पति-उदय कुमार ग्राम-जगल बाजार रोड शक्ति द्वार पो0-डुमराव थाना-डुमराव जिला-बक्सर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
42	उपेन्द्र कुमार शर्मा पिता-स्व0 महेन्द्र शर्मा ग्राम+पो-संग्रामपुर थाना-संग्रामपुर जिला-मुगेर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	नीतीश भारतीय पिता-स्व0 भगवान मिस्त्री ग्राम-सुन्दरपुर 1 पो0 करौटा थाना-सालिमपुर जिला पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
44	राजी देवी पति-ध्रुव बैठा ग्राम-बरवा वार्ड 3 पोस्ट पिरारी थाना-इनरवा जिला-प0 चम्पारण	कैसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।

45	महावीर प्रसाद पिता-दीना नाथ ग्राम-खरियाडीह शिकारपुर वार्ड 9, पो0-शिकारपुर थाना-सोनपुर जिला सारण	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
46	बैजनाथ कुम्हार पिता-भिखारी कुम्हार ग्राम-तेतरिया पोस्ट-सलेमपुर थाना-मुफ्फसिल जिला-भोजपुर	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
47	विरेन्द्र कुमार सिन्हा पिता-स्व रघुवीर शरण सिन्हा ग्राम-ईदगाह रोड मौलाबाग नियर सकट मोचन मंदिर पो0-आरा नवादा थाना-नवादा जिला-भोजपुर	कैसर रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
48	मालती देवी पति-स्व0 विजय सिंह ग्राम-पुस्तकालय लेन इस्ट लोहानीपुर कदमकुआ वार्ड 36, पो0+थाना-कदमकुआ जिला-पटना	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
49	उमेश नारायण सिंह पिता- स्व0 सूर्य नारायण सिंह ग्राम- बासा बिगहा पो0- गाडी थाना- सलैया जिला- औरंगाबाद	नी रिप्लेशमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
50	साजदा खातून पति- आबिद हुसैन ग्राम- अंगारी चक पो0- शकरपुर इमामगज थाना- किजर जिला- अरवल	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
51	रीता देवी पति- सजय कुमार सिंह ग्राम+पो0- गम्हरिया थाना- अकोढीगोला थाना- रोहतास	नी रिप्लेशमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
52	सूरज पंडित पिता- सटहु पंडित ग्राम- सबहा महदइया पो0- ढोली थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	नी रिप्लेशमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

53	वीरलाल साह पिता- बच्चु साह ग्राम- श्रीपुर पो0- एकदारी थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण	नी रिप्लेशमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
54	लालिया देवी पति- अजित प्रसाद ग्राम- नियर काली मंदिर पो0- डुमरी थाना- सिमरी जिला- बक्सर	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
55	प्रमिला देवी पति- देव नारायण कामत ग्राम- मैनही पो0- अमही थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
56	राजमनी देवी पिता- कामेश्वर सिंह ग्राम- खरखुरा भलुआही नियर ब्रह्म सीन पो0- आर एस थाना- देलाहा जिला- गया	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
57	तारा नन्द सिंह पिता- राम कृपाल सिंह ग्राम+पो0- हरहच्चा थाना- बहेरी जिला- दरभंगा	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
58	रम्भा देवी पति- रामबहादुर महतो ग्राम- दिलमन छपरा पो0- जसौली जमुनिया थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
59	मिथिलेश देवी पति- सर्वानन्द सिंह ग्राम+पो0- गोपालपुर थाना- नयागांव जिला- सारण	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
60	रिकू देवी पति- अनिल कुमार चौधरी ग्राम-कंचनपुर पो0- रजासन थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	हीप रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

61	अमरेश कुमार पिता- शिवचंद्र सिंह ग्राम- फतेहपुर बुजुर्ग पो0- सहदेई बुजुर्ग थाना- सहदेई जिला- वैशाली	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
62	हीरालाल प्रसाद पिता- चिरकुट प्रसाद ग्राम- गोडा सेमरा पो0- कठैया थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण	हीप रिप्लेशमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
63	स्मिता कुमारी पति- श्रवण कुमार ग्राम+पो0- सुम्भा थाना- अलौली जिला- खगडिया	हीप रिप्लेशमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
64	मोहन कुमार पिता- राजनीती प्रसाद ग्राम+पो0- नेहुसा थाना- हरनौत जिला- नालंदा	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
65	लालती देवी पति- उमा शंकर सिंह ग्राम+पो0- तरारी थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	हीप रिप्लेशमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
66	लटूनी देवी पति- योगेन्द्र यादव ग्राम- चकला पो0- सखुआ थाना- पिपरा जिला- सुपौल	स्पाईन/ब्रेन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
67	परशुराम कुमार पिता- साधु केवट ग्राम- गगटा पो0- किशनपुर थाना- अमहरा जिला- लखीसराय	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
68	रवी कुमार पिता- सुरेन्द्र साहनी ग्राम- इस्लामगंज वार्ड 03 पो0- हुलासी टोला थाना- मनेर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
69	बिक्की कुमार पिता- सजय कुमार ग्राम- नसीरपुर बलवा पो0- गौरी पुन्दा थाना- फतुहा जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

70	पिकी देवी पति— अजित मडल ग्राम— गोपालीचक पो0— मौल टोला थाना— पीरपैती जिला— भागलपुर	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
71	विनय प्रसाद यादव पिता— सुरेंद्र राय ग्राम— सिगही पो0— मेहरौली थाना— डोरीगज जिला— सारण	ड्रामा (शोल्डर डीसलोकेशन)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
72	उज्जवल सोनी पिता— अशोक कुमार गुप्ता ग्राम— चंदवा मोड क्रिस्चन कॉलोनी पो0+थाना— नवादा जिला— भोजपुर	ड्रामा (शोल्डर डीसलोकेशन)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
73	रोहित कुमार पिता— बाबूलाल राय ग्राम+पो0— गुरमिया थाना— करताहा जिला— वैशाली	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
74	ज्ञान रजन पिता— शम्भुनाथ सिंह ग्राम— पटिलही पो0— संदुअरी थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
75	बचेबाबू महतो पिता— कमल महतो ग्राम+पो0— बेलाही नीलकठ थाना— रून्नीसैदपुर जिला— सीतामढ़ी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
76	रोजी खातून पति— मोहम्मद खुसनैन ग्राम+पो0— विष्णुपुर वासुदेव थाना— महिन्दवारा जिला— सीतामढ़ी	Croniotomy	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
77	अक्सा खातून पिता— मो0 गुफरान ग्राम— भेडिहरवा पो0— सुगहा भवानीपुर थाना— कगली जिला— पश्चिम चम्पारण	Cochlear Implant	4,25,000	चार लाख पचीस हजार स्वीकृत।
78	पकज प्रसाद पिता— रामौतार प्रसाद ग्राम— कबला पो0— बुधौली थाना— पकरीबरावा जिला— नवादा	Cochlear Implant	4,25,000	चार लाख पचीस हजार स्वीकृत।

79	रजनीश कुमार पिता- नागा यादव ग्राम- उदवत नगर वार्ड 14 पो0+थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
80	युगाक राज पिता- पारसनाथ पाण्डेय ग्राम- बालूघाट ब्रम्हस्थान वार्ड 15 पो0- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
81	रमेश कुमारी पिता- मथुरा प्रसाद ग्राम- न्यू बिग्रहपुर वार्ड 30 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	गुर्दा प्रत्यारोपण	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
82	प्रकाश कुमार पिता- विजय यादव ग्राम- हजारी पो0- पडारिया थाना- शिमरा जिला- औरंगाबाद	वास्कुलर सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
83	आर्यन राज पिता- नागेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- रामपुर कुम्हरकोल थाना- सहदेई जिला- वैशाली	रेनल सर्जरी	25,000	पचीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
84	जुली कुमारी पिता- सदन शर्मा ग्राम- वेस्ट लोहानीपुर देलवे हुन्डर रोड वार्ड 36 पो0- कदमकुआं थाना- कदमकुआ जिला- पटना	Progressive Systemic Sclerosis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
85	विमला देवी पति- भरत ठाकुर ग्राम- ठाकुर मार्ग मदनपुर पो0+थाना- मदनपुर जिला- औरंगाबाद	टोटल नी रिप्लेशमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
86	विदया देवी पति- ईश्वर राय ग्राम- नवटोला टाडा पो0- मोहिउद्दीन नगर थाना- मोहिउद्दीन जिला- समस्तीपुर	हीप रिप्लेशमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			81,35,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 81,35,000/- (एकासी लाख पैतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196861 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक के नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 890(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,

ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरस्वती देवी पति- उपेन्द्र कुमार ग्राम- गायघाट गौरी शकर कॉलोनी पटना सिटी पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	पित रोग (GB Stone)	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	बबिता देवी पति- राजेन्द्र जायसवाल ग्राम- उदयनगर पो0- चनका थाना- श्रीनगर जिला- पूर्णियाँ	Incisional Hernia	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सुधा देवी पति- बिरेंद्र कुमार राय ग्राम- अशोक नगर रोड न0-02 ककडबाग पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना	कैसरा रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	विजय सिंह पिता- फूलो महतो ग्राम- आजाद नगर गज पो0+थाना- सिमरी बख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैसरा रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	जमालुद्दीन पिता- मो० साहेब जान कुराईशी ग्राम- चिकटोली पो०- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	हीरा महतो पिता- झरी महतो ग्राम- गौशाला रोड सन्हौली पो०- सन्हौली थाना- चित्रगुप्त नगर जिला- खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	बंगाली सहनी पिता- गोविन्द सहनी ग्राम- बिशनपुर मलहटोली पो०- बिशनपुर थाना- मुफसिल जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
8	लीलावती देवी पति- शम्भु नाथ प्रसाद ग्राम- चिहुट पो०- सुइथा थाना- परसा बाजार जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	संजु देवी मेहता पति- पवन कुमार शिवनदन मेहता ग्राम- श्री निवास हरी नारायण पथ गली पोस्टल पार्क रोड 03 पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	कलावती देवी पति- गोरख नाथ भक्त ग्राम+पो०- पट्टी शीतल थाना- डेरनी जिला- सारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	असगर अली पिता- स्व० अब्दुल अजीज ग्राम- इमामबाडा चौक कोरट बारी वार्ड 16 पो०- पूर्णियाँ थाना- मधुबनी जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 9,05,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,05,000/- (नौ लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के

माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

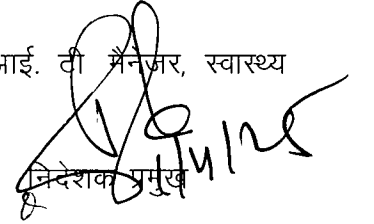
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 891 (14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196861/.... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शोएब मसूरी पिता- साबिर मसूरी ग्राम+पो०- मधुरापुर थाना- फेनहरा जिला- पूर्वी चम्पारण रजि न०- 3000567608	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मो० सलीम पिता- मंगरू मियां ग्राम+पो०+थाना- डुमराव जिला- बक्सर रजि न०- अंकित नहीं है।	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	बबलु प्रसाद यादव पिता-रघुलाल यादव ग्राम-ज्ञानदोभ पोस्ट-अमौर थाना-अमौर जिला-पूर्णिया यु०एचआईडी-3000532636	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	किशोरी चौधरी पिता-बिनेशर चौधरी ग्राम-कोल्ह पो०-चिरैली थाना खिजरसराय जिला-गया यु०एचआईडी-3000565314	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	गौतम कुमार पिता-गोविन्द प्रसाद ग्राम-टिकुलीपर वार्ड 10 पोस्ट+थाना-बिहार शरीफ जिला नालदा यु०एचआईडी-3000416982	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	अशोक यादव पिता-तारा कान्त यादव ग्राम-दुखनसार 10 पो-कुरमाटार थाना-कटोरिया जिला बांका यु0एचआईडी-3000541362	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	लालती देवी पति-कृष्णा दास ग्राम-भलुई खान वार्ड 13 पो0-करनौल थाना-साहेबगज जिला मुजफ्फरपुर यु0एचआईडी-3000566699	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	बबीता कुमारी पति-शैलेन्द्र कुमार ग्राम-भुई वार्ड 04 पो0-भुई थाना-सिलाव जिला नालदा यु0एचआईडी-3000566698	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	कुमार पद्मानन्द पिता-मटरू प्रसाद सिंह ग्राम-डी0 एम0 आवास रोड बाबु टोला 17 पो0+थाना-बाका जिला बांका यु0एचआईडी-3000566272	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	केशव राज पिता-प्रवीण कुमार सिंह ग्राम-जगरनाथपुर वार्ड 04 पो0-हरपुर फटिकबारा थाना-महनार जिला वैशाली यु0एचआईडी-3000194903	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	नैरा परवीन पति-मो0 रमजान अली ग्राम-बेलाही पो0-बौ0 बेलाही थाना-कलुआही जिला-मधुबनी यु0एचआईडी-3000557643	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	सौरभ कुमार पिता-प्रेम प्रसाद सिंह ग्राम-औरंगाबाद वार्ड 09 पो0-लगमा थाना-कहलगाव जिला-भागलपुर यु0एचआईडी-3000549431	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

13	परशुराम कुमार पिता—बालेश्वर सिंह ग्राम—बरबीघा वार्ड 11 पो0 पावापुरी थाना—गिरियक जिला नालंदा यु0एचाआईडी—3000555047	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	जितेन्द्र कुमार पिता—मोती लाल सिंह ग्राम—चपटही वार्ड 13 पो0—छवरही थाना—पिरो जिला भोजपुर यु0एचाआईडी—3000272978	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	राहुल पिता—सुभाष महतो ग्राम—पररी वार्ड 01 पो0 पररी थाना—बनगांव जिला—सहरसा यु0एचाआईडी—3000554583	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	बिजली राय पिता—रामहित राय ग्राम—दिधीकला पूर्वी पो0—थाना—हाजीपुर जिला—वैशाली यु0एचाआईडी—3000567736	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	सुरेन्द्र प्रसाद यादव पिता—स्व0 गंगा विष्णु यादव ग्राम—सदर गली खाजेकला वार्ड 65 पो0—झावगज थाना—खाजेकला जिला पटना यु0एचाआईडी—3000556417	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	लखपती देवी पति—राम विलास साह ग्राम—बसत जगजीवन वार्ड 06, पो0—बसत जगजीवन थाना—पुरनहिया जिला शिवहर यु0एचाआईडी—3000562839	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
19	राज कुमारी देवी पति—यग नारायण महतो ग्राम—रतनपुर वार्ड 8 पो0—जलपुरा थाना—चडी जिला—भोजपुर यु0एचाआईडी—3000564244	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

८

20	कृष्ण प्रसाद यादव पिता-सुखदेव यादव ग्राम-जगदम्बापुर पो0-फरदा थाना-सफिया सराय जिला-मुंगेर यू0एचआईडी-3000560299	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
21	सावित्री देवी पति-राजेन्द्र सिंह ग्राम-पियरपुरा वार्ड 06 पो0-नगला किंजर थाना-खिरीमोड जिला पटना रजि नं0- अकित नहीं है।	हृदय रोग पी0टी0 सी0ए0	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
22	तब्बसुम आरा पति-मो0 हामीद हुसैन ग्राम-राजापुर पो0-आगापुर थाना-मंसुरचक जिला-बेगुसराय यू0एचआईडी-3000547267	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	प्रविन्द्र कुमार राय पिता- कमला प्रसाद राय ग्राम- बारा तेलपा हवाई अड्डा के बगल मे पो0- छपरा थाना- गनर जिला- सारण यूएचआईडी न0- 3000555815	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
24	मदन महतो पिता- बैद्यनाथ महतो ग्राम- अल्लपट्टी पो0- डी ऍम सी थाना- बेंता जिला- दरभंगा यूएचआईडी न0- 300055649	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	प्रदीप प्रसाद यादव पिता- बलदेव प्रसाद यादव ग्राम- रजनी गोठ वार्ड 11 पो0- रजनी गोठ थाना- मुरलीगज जिला- मधेपुरा यूएचआईडी न0- 3000564342	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
26	पूनम देवी पति- चन्दन कुमार महतो ग्राम- फतेहॉ वार्ड 11 पो0- फतेहॉ थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर रजि न0- 3000568250	कोकलियर इम्प्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

27	नसरीन परवीन पति— मो0 इजहार अहमद ग्राम— अमर सिनेमा मार्ग के पास कच्ची सराय धकवारा वार्ड 26 पो0— रमना थाना— मिठनपुरा जिला— मुजफ्फरपुर रजि न0— 3000552347	हृदय रोग डीवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
28	शकर प्रसाद पिता— गंगा विशुन जमादार ग्राम— दाहूचक नगला पो0— माधव मिल्स थाना— मालसलामी जिला— पटना यूएचआईडी न0— 3000564293	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
29	गुलशा खातून पिता— मो0 समीम कुरैशी ग्राम— चिकटोली आरा वार्ड 33 पो0— आरा थाना— टाउन जिला— भोजपुर यूएचआईडी न0— 3000557646	कैंसर रोग	50,000	पाचस हजार स्वीकृत।
30	राजू कुमार यादव पिता— रामबृक्ष यादव ग्राम+पो0— बासोपाली थाना— सिवान जिला— सिवान रजि न0— 3000569015	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			27,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 27,00,000/- (सताईस लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 19.6.8.6/ ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 892(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 19686/.... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	माया देवी पति- शिव वचन राम ग्राम- बसडीहॉ, पो0- घोरडीहॉ थाना- करगहर जिला- रोहतास	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शारदा देवी पति- स्व० गोपाल साह ग्राम- परबेजाबाद पहाडीचक पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	हीप रिप्लसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	जीतेन्द्र राय पिता- गोरख राय ग्राम- ईशुपुर पो0- मानपुर थाना- दिघवारा जिला- सारण	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	गोरख पांडेय पिता- सकल पांडेय ग्राम- दुधैला पो0- सोनपुर थाना- सोनपुर, जिला- सारण	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

६

5	वैभव कुमार पिता- कुमार शशिध्वज सिंह ग्राम- बिलारी पो- सिलारी थाना- करगहर जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लोर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 893(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी

सेंटर नीयर डी0एम0सी0एच0 लहेरिया सराय

दरभंगा-846003

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुरुशरण यादव पिता— महती यादव ग्राम— मसारा पो0— लगाम थाना— घनश्यामपुर जिला— दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	माहे दरखशा पति— मो0 गजाली ग्राम— अब्दुल्लाहगंज पो0— लहेरिया सरिया थाना— लेहेरियासराय जिला— दरभंगा	नी रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 1,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-38022630797 खाता धारक का नाम—सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम—डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है,

इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

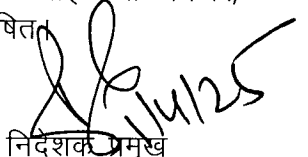
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 894(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196861 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेखा सिंह पिता- जगन सिंह ग्राम+पो0- मोहनपुर थाना- काराकाट जिला- रोहतास	कैसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	शिलेश्वर सहनी पिता- शिवचरण सहनी ग्राम- रहेपुर वार्ड 02 पो0- तैतारपुर थाना- मोहिउद्दीन नगर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,40,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करे।

६

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

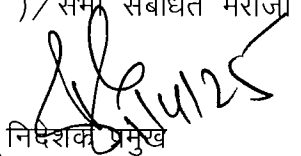
ह०/—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 895(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 19686/ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शारदा कुवर पति- श्याम बिहारी साह ग्राम- ईशीपुर पो०- भेडिया थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	आदित्य कुमार प्रसाद पिता- दिनेश्वर प्रसाद ग्राम+पो०- परसौना थाना- परसा जिला- सारण	गोल ब्लाइडर में स्टोन	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	निकेश कुमार सिंह पिता- राज कुमार सिंह ग्राम+पो०- लगमा थाना- कहलगाव जिला- भागलपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राजेश कुमार सिंह पिता- बिभूति नारायण सिंह ग्राम+पो०- मुश्कीपुर थाना- तारापुर जिला- मुंगेर	हृदय रोग सीएबीजी	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	धर्मेन्द्र कुमार सिंह पिता— शिव कुमार सिंह ग्राम— कथरैन पो0+थाना— धनसोई जिला— बक्सर	हृदय रोग सीएबीजी	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	सोनिया देवी पति— छोटे काति ग्राम— आर ब्लॉक रोड न0— 6 पो0— जीपीओ थाना— सचिवालय जिला— पटना	(PCNL + DJ STENTING	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	सुजाता कुमारी पति— राजेश कुमार ग्राम— जनकपुर पो0— फतेहपुर थाना— गौरीचक जिला— पटना	Surgery (TLH + CYST REMOVAL	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	सिमा चौधरी पति— ऋषिकेश कुमार चौधरी ग्राम— चौधरी मुहल्ला पो0+थाना— डेहरी जिला— रोहतास	Spine Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	अशमीना खातून पति— मो0 जसीम ग्राम— कमला नेहरू न गर पो0— जी0पी0ओ0 थाना— कोतवाली जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	हरिनारायण प्रसाद पिता— स्व0 रामदेव प्रसाद ग्राम— बरी घोषी पो0— दाहाबिगहा थाना— हिलसा जिला— नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	सुशिल कुमार सिन्हा पिता— स्व0 गोपाल शरण सिंह ग्राम— तडवौं पो0— पभेरा थाना— धनरूआ जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
12	मो0 आमिर पिता— मो0 सरफराज ग्राम— बनौलिया पो0+थाना— बिहार शरीफ जिला— नालदा	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

13	अशोक राम पिता- रामदास राम ग्राम- लौवाँ पो0- सढवरा थाना- इसुआपुर जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
			12,65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 12,65,000/- (बारह लाख पैसठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 896 (14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196861... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेंद्र प्रसाद साह पिता- अनूपलाल साह ग्राम- शादीपुर नियर सरस्वती शिशु मंदिर पो०- मुंगेर थाना- कोतवाली जिला- मुंगेर	हृदय रोग पीपीआई- डीडीडी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	कंचन देवी पति- रामाश्रय सिंह ग्राम- किचनी वार्ड 05 पो०+थाना- हरनौत जिला- नालदा	हृदय रोग इपीएस- आरएफए	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 897(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 126861... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकडबाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रभात कुमार पिता— सरोज कुमार सुमन ग्राम+पो०— उसराही थाना— देवधा जिला— मधुबनी	Left Tympanoplasty	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 19686/ ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड स० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा

सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, ●
बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर
वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 898(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए
अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में
वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर,
स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैसर एडं मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मधु देवी पति- संजय मडल ग्राम- खरहट पो०- गितवास थाना- रानीगज जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वकृत।
2	सीतामणी देवी पति- ध्रुव देव प्रसाद सिंह ग्राम+पो०- नदवां थाना- धनरुआ जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वकृत।
3	हिमाशु मिश्रा पिता- लक्ष्मी कांत मिश्रा ग्राम- साकेतपुरी बाजार पो०- राजेद्र नगर थाना- बहादुरपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वकृत।
4	शेख फरमान पिता- शेख जलील ग्राम+पो०+थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

१

5	पंकज कुमार पिता- कैलाश प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- अमैया थाना-असरगंज जिला- मुगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वकृत।
6	मनोज नायक पिता- दयानन्द नायक ग्राम- नया टोला पो0- कटिहार, थाना- नगर जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वकृत।
7	राजेन्द्र प्रसाद साह पिता- देवनाथ साह ग्राम+पो0- बेलहरी, थाना- तरैया जिला- सारण	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			5,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-440720110000498 खाता धारक का नाम-Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सापरांत शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 899 (14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी मैनिजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिव नारायण यादव पिता- हरी प्रसाद यादव ग्राम- ठिलामोहन पो०- रहिका ठिलामोहन थाना- फारबिसगंज जिला- अररिया	कैंसर रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सावित्री देवी पति- मुरली प्रसाद सिंह ग्राम- सुज्जी खुर्द पो०- बोधिबीघा थाना- डुमरिया जिला- गया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,55,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,55,000/- (एक लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेक्टर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान व चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 900(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विद्या प्रसाद पिता- दुलारी राय ग्राम-अधरवारा पो- बिदुपुर आर एस थाना- राजापाकर जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 19686/... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी ।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

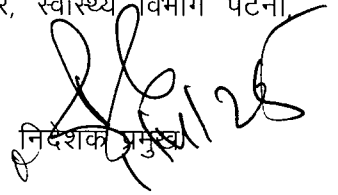
ज्ञापक 901 (14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196861... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सावित्री देवी पति— टुनटुन पासवान ग्राम— रामपुर दिलावर पो0— बैकुण्ठपुर थाना— राजापाकर जिला— वैशाली	D2 Distal Gastrectomy	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सायरा खातून पति— नेजामुद्दीन ग्राम— बकी टीकम पो0— गुलवारा मधुबन थाना— मधुबन जिला— पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	समसा खातून पति— जहागीर ग्राम+पो0— बनौल थाना— नानपुर जिला— सीतामढ़ी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/—(एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ~~19686~~... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0—1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ.) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 902(14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19686/...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुमन देवी पति- सन्तु राय ग्राम+पो0- फतेहपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 50,000 /-(पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~19686~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **33569032861** खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ड्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें
मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

903(14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लघु चेक सं० 176861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक-26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रेमा देवी पति- सुरेश प्रसाद सिंह ग्राम- मैनापुरा पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	Multiple Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	ज्योतिष कुमार पिता- शंकर साव ग्राम-सगुना नियर दी एस पी ऑफिस पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	हेपेटाइटिस	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	अनुज कुमार पिता- कृष्णा नन्दन रजक ग्राम- परशुरामपुर पो०- हृदयाचक थाना- कलेर जिला- अरवल	हेपेटाइटिस बी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 126861 .. द्वारा आहरित कर

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम— M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एचडीएफसी०, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

904/14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ..17686/..... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार पाण्डेय पिता- बैजनाथ पाण्डेय ग्राम+पो०- हरमठपुर थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान केस फाईल न०- 19 एफ 2025/000582	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	रूपम मिश्रा पति- संजीव कुमार मिश्रा ग्राम- मिठनपुरा वार्ड 36 पो०- रमना, थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- सीएन/37930	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	भवेश यादव पिता- वकील यादव ग्राम+पो०+थाना- भरतखण्ड जिला- खगड़िया केस फाईल न०- 11 एफ 2024/001314	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	प्रगास साह पिता- बनवारी साह ग्राम- चक्की टोला पो०- पटदौडा थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढ़ी केस फाईल न०- 19 एफ 2024/006510	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	नन्ही पति— नजारत आलम ग्राम— पतिलवा पो0— बरसौनी थाना— सदर जिला— पूर्णियाँ केस फाईल न0— 19 एफ 2025/000538	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	दीपक कुमार पिता— सत्यनारायण सहनी ग्राम— छपरा मनोरथ पो0— श्रीसिया थाना— काँटी जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न0— 19 एफ2024/003155	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	अनिया देवी पति— चंदू साह ग्राम+पो0— बरजी थाना— मोतीपुर जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0— केडी/81589	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	मजू देवी पति— शिवप्रसन तिवारी ग्राम— बसतपुर पो07 सिंहपुर थाना— साठी जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0— 19 एफ 2023/005099	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता— साधु शरण प्रसाद ग्राम— मोगल कुआँ पो0+थाना— सोहसराय जिला— नालदा केस फाईल नं0— 19 एफ 2023/000202	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			5,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,70,000/- (पाँच लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम—“होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर”, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

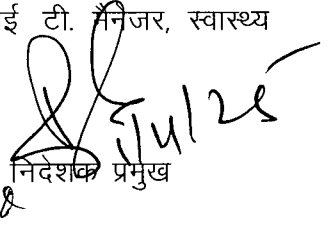
905(14)

पटना, दिनांक

02/4/2021

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 17686/.... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	जीवनन्दन राम पिता- दुखा राम ग्राम- बनबिरवा पो०- जसौली पट्टी थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	श्याम यादव पिता- अनिरुद्ध यादव ग्राम- सोनडीहा नवटोलिया पो०+थाना- तारापुर जिला- मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	श्याम कुमार महतो पिता- जोखू महतो ग्राम- रानीपुर वार्ड 03 पो०- वृन्दावन आश्रम थाना- कुमारबाग जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality

Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

906 (14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 19684.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा0 लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र0 सं0	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	वरुण सिंह पिता- दिनेश सिंह ग्राम+पो0+थाना- चौसा जिला- मधेपुरा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुनीता मिश्रा पति- राज कुमार मिश्रा ग्राम- बिहनगर पो0- बिरौल थाना- पंडौल जिला- मधुबनी	हृदय रोग पीटीसीए	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रानी कुमारी पति- निर्मल कुमार ठाकुर ग्राम+पो0- खरगरवानी थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी	हृदय रोग एएसडी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			4,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,40,000/- (चार लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम..... RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।

- 4 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 907(14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं०. 176861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	शिव झरीया देवी पति—विजय राय ग्राम—काली मंदिर पेठिया बाजार पो०+थाना—दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	कलावती देवी पति—विमल चौधरी ग्राम+पो०—कुंजवा थाना—बिहटा जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	कौशल सिंह पिता—सुन्दरीका सिंह ग्राम+पो०—महम्मदपुर थाना बिक्रम जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	भुवनेश्वरी देवी पति—बिरजु राम ग्राम—चितकोहरा गुमटी कौशल नगर, पो०—जी०पी०ओ० थाना—एयरपोर्ट जिला—पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	प्रभाकर त्रिपाठी पिता—देव गोविंद त्रिपाठी ग्राम—राजपुर पो०+थाना बिहटा जिला—पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	निरा देवी पति-देव कुमार ग्राम-अठपा पो0-कोलोडिहरी थाना चौरी जिला-भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	सकुती देवी पति-लाल बाबु राय ग्राम-नीलकठ टोला गोरैया स्थान,पो0-सादिकपुर थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	सियाराम सिंह पिता-रामेश्वर सिंह ग्राम-मानदे बिगहा पो0-भेवर सिकरिया थाना-जहानाबाद नगर जिला- 'जहानाबाद	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	लक्ष्मी देवी पति-हलखोरी पासवान ग्राम-पलटु छितनी पो0-धोबिया कालापुर थाना-नौबतपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	अमिर राय पिता-नबाब राय ग्राम-रामचरण छानी पो0-धोबिया कालापुर थान-नौबतपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	कमला राय पिता-सरयुग राय ग्राम-रामचरण छितिनि पो0-धोबिया कालापुर थाना-नौबतपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	उषा देवी पति-पप्पु कुमार मिश्र ग्राम-शिव मंदिर देवी स्थान रोड नं0 29 नासरीगज पोस्ट+थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	सीता देवी पति-स्व0 कांशी कुमार ग्राम-आनद बाजार पोस्ट+थाना-दानापुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	भीम सिंह पिता-कामेश्वर सिंह ग्राम-कोरियम पो0-बारा कोरियम थाना+जिला-अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	देवपति देवी पति-राम बाबु सिंह ग्राम-जीवनचक पो0-कोठीया थाना-दीदारगज जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	भरत ठाकुर पिता-नन्द लाल ठाकुर ग्राम-अम्बेदकर नगर पो0+थाना-जहानाबाद जिला-जहानाबाद	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	दिनेश राम पिता-राम वृक्ष राम ग्राम-पो0-भैसवान थाना-मसौढी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	शिव बचन सिंह पिता- स्व0 जोखू महतो ग्राम-खैरही पो0- बडहरी थाना- करगहर जिला- रोहतास	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	उमरावती कुवर पति- नथुनी सिंह ग्राम- अदई पो0- बडहरी थाना- करगहर जिला- रोहतास	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	धनरावती देवी पति- बशीधर सिंह ग्राम+पो0- बडकिखरारी थाना- करगहर जिला- रोहतास	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	रीता देवी पिता- सूबीदार सिंह ग्राम- अदई पो0- बरहरी थाना- करगहर जिला- रोहतास	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	सुनैना देवी पति- रामलाल सिंह ग्राम- खैरही पो0- बरहरी थाना- करगहर जिला- रोहतास	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	बिकरम सिंह पिता- शिव प्रसाद सिंह ग्राम- खैरही पो0+थाना- बडहरी जिला- रोहतास	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	शशिकांत सिंह पिता- राम एकबाल सिंह ग्राम- खैरही पो0- बडहरी थाना- करगहर जिला- रोहतास	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 19686/ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 909 (14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 19686/की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्याधि प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनाक-

विषय - मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	श्याम नारायण पिता- नदू प्रसाद ग्राम- हाईड एस बी आई ब्रांच नई सडक चौक पो०- झाउगज थाना- चौक जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	वृधाचल राम पिता- ब्रह्मदेव राम ग्राम+पो०- हरदिया थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 4400301100000048 खाता धारक का नाम-"वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस " खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-पटना मेन ब्रांच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें। इसे अत्यावश्यक समझा जाय। एक रोगी को एक ही बार प्राक्कलन निर्गत किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 911(14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19.6.8.6/...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एभन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विना मोवार पति- उमेश मोवार ग्राम+पो०- पकरी थाना- पलासी जिला- अररिया	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	आयसा खातुन पति- स्व० मो० सदीक ग्राम- जनता फ्लैट भूतनाथ रोड पो०- बी०एच० कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	राजेश कुमार सिन्हा पिता- स्व० ज्ञान शंकर प्रसाद ग्राम- मुस्लेहपुर यादव लेन पो०- महेन्द्रू थाना- कदमकुआ जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	अर्जुन प्रसाद पिता- स्व० महादेव राम ग्राम- भैसानी टोला बडी बगीचा पो०- बेगमपुर थाना- मालसलामी जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

K

5	मो० सलाउद्दीन पिता- मो० रफी ग्राम- दरगाह रोड मासूम गली पो०- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
6	भगवती देवी पति- स्व० इंद्रदेव राम ग्राम- गवसपुर पो०- जैतिया थाना- गौरीचक जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	रत्नेश्वर कुमार पिता- प्रभुदयाल साह ग्राम- जलकदर बाघ करहि कारखाना पो०- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	सुमित्रा देवी पति- सुनील चौधरी ग्राम- गुल्बीघाट पो०- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	अरुण प्रसाद सिंह पिता- बच्चा प्रसाद सिंह ग्राम+पो०- परसडो थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुंगेर	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	छोटे लाल चौधरी पिता- दुरखेला चौधरी ग्राम- कुम्हार नयार शिवम् पेट्रोल पंप पो०- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	कृष्णा चौधरी पिता- राम चौधरी ग्राम- कुम्हार नयार शिवम् पेट्रोल पंप पो०- बहादुरपुर आउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

12	नीलम सिन्हा पति- सुधरी कुमार सिन्हा ग्राम- पथरी घाट पो- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 1,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000 /- (एक लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम- "ए०एस०जी० हौस्पिटल प्रा० लि० " खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम-, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 912(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय दास पिता- चैतु दास ग्राम- चकहमीदा पो0- सेदुआरी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लक्ष्मन सिंह पिता- सुखु सिंह ग्राम+पो0- सेदुआरी गोबिंद थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	जय किशुन पासवान पिता- लाल धारी पासवान ग्राम- प्राणपुर बेरइ पो0- सराय थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सिया देवी पति- हरेकिशुन पासवान ग्राम- प्राणपुर बेराइ पो0- सेदुआरी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	विश्वनाथ राय पिता- नैनी राय ग्राम+पो0- सेदुआरी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	हेम नारायण राय पिता- राम शोभित राय ग्राम+पो0- सेदुआरी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	मो0 मुस्तकीन पिता- मो0 अली ग्राम- फतेहाबाद पो0- सराय थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	शकुन्ती देवी पति- झगैडा पासवान ग्राम- प्राणपुर बेराइ पो0- सराय थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	कबूतरी देवी पति- विश्वनाथ पासवान ग्राम- चकरसुल बेराइ पो0- सराय थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	विश्वनाथ पासवान पिता- मरण पासवान ग्राम- चकरसुल पो0- सराय थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	सच्चिदा नन्द शर्मा पिता- तापेश्वर शर्मा ग्राम- प्राणपुर बेराइ पो0- सराय थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...19686! ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम- **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC BANK**, शाखा का नाम- **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं0 **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

913(14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 17686/... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पड़िया देवी पिता— शिवधारी पासवान ग्राम— लुत्फअलीचक पो०+थाना— नालदा जिला— नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	उजागर देवी पति— दिनानाथ राय ग्राम— जाफराबाद टोक पो०— जाफराबाद थाना— राघोपुर जिला— वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	शारदा देवी पति— विलास दास ग्राम— पुरुषोत्तमपुर पो०— जाफराबाद थाना— राघोपुर जिला— वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	उर्मिला देवी पति— बृज किशोर लाल ग्राम— आनंद बिहार अनिशाबाद पो०— अनिशाबाद थाना— फुलवारी जिला— पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	अरविन्द सिंह पिता— आमिर सिंह ग्राम— मुस्तफापुर पो०+थाना— नालदा जिला— नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	लगन ठाकुर पिता- देव राज ठाकुर ग्राम- जाफराबाद टोक पो0- जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	तनिक सिंह पिता- प्रदीप सिंह ग्राम- मुस्तफापुर पो0+थाना- नालदा जिला- नालंदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	जगदेव दास पिता- जगलाल दास ग्राम- सैदपुर देवचद पो0- जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	महाजनी देवी पिता- मदन चौहान ग्राम- मुस्तफापुर पो0+थाना- नालदा जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	गगिया देवी पिता- साधु महतो ग्राम- जाफराबाद डीह पो0- जाफराबाद थाना- रुस्तमपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	भगवान राम पिता- स्व0 मुसाफिर राम ग्राम- दौलतपुर पो0- मोकर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	सर्वतिया देवी पति- नद लाल दास ग्राम- जाफराबाद टोक पो0- जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	मालती देवी पति- सत्यनारायण सिंह ग्राम- नया गाव पो0+थाना- अकिलपुर जिला- सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	रमज्योति देवी पिता- महिद्रा राय ग्राम- देवचद पो0- जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	पछिया देवी पति- देवी दयाल ग्राम+पो0+थाना- दीघा जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	राजा शर्मा पिता- देव राज शर्मा ग्राम- जाफराबाद टोक पो0- जाफराबाद थाना- रोघापुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	माधुरी देवी पति- रविद राउत ग्राम- बेगमपुर पो0+थाना- नालदा जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	श्रवण कुमार साह पिता- सिखदेव साव ग्राम+पो0+थाना- जुडावनपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	शकर पासवान पिता- भाभखाण पासवान ग्राम- टिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	शिला देवी पति- मुन्नीलाल राय ग्राम+पो0- जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	सोहागो देवी पति- स्वग्रथ राय ग्राम- टिनेरी पो0- शिवनगर थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	कैलाशी देवी पति- अनन्दु राय ग्राम+पो0-जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	कुशमा देवी पति- देवेन्द्र साह ग्राम- जहागीरपुर पो0- जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	शत्रुधन सिंह पिता- महावीर पाल ग्राम- रामजीचक दीघा पो0- बाटागज थाना- दीघा जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	राजकिशोर यादव पिता- वबुजन यादव ग्राम- लौकहा थाना- सुपौल जिला- सुपौल	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	फूलकुमारी देवी पिता- जय किशुन राम ग्राम- जाफराबाद टोका पो0- जाफराबाद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	बच्चू रविदास पिता- राविदास ग्राम- बेगमपुर पो0- नालदा थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	पत्तीया देवी पति- रामबली माझी ग्राम- मछुआ टोली पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	मान्ती देवी पति- अर्जुन यादव ग्राम- खरजामा पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	सावित्री देवी पति- रामाअशीष प्रसाद ग्राम- खरजामा पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

31	उर्मिला देवी पति- लक्ष्मण दास ग्राम- हेतानपुर पो0- माधोपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	बिजेद्र प्रसाद पिता- रघनदन यादव ग्राम- खरजामा पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
33	कृष्णा माझी पिता- परमेश्वर माझी ग्राम+पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
34	विद्या देवी पति- भोला राय ग्राम- हबासपुर पो0- गगहरा थाना- शाहपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
35	सूर्यपति देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम- खरजामा पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
36	सोमरी देवी पति- योगेद्र साव ग्राम+पो0- भौसमा थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
37	हरी मांझी पिता- विपत माझी ग्राम+पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
38	वत्सेवर सिंह पिता- स्व0 रामपडारत सिंह ग्राम- रूपस महाजी पो0- ग्यासपुर महाजी थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
39	सुरनाथ महतो पिता- स्व0 त्रिवेणी महतो ग्राम- मछुआ टोली आयै कुमार रोड पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

40	सुधा देवी पति- राम प्रसाद ग्राम- खहजामा पो0- रेवान थाना- मसौडी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
41	ओजिर पासवान पिता- पटल पासवान ग्राम- मछुआ टोली आयै कुमार रोड पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	श्याम लाल साव पिता- दुलार चन्द साव ग्राम+पो0- भैसावां थाना- मसौडी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	उपेन्द्र माझी पिता- पेरु माझी ग्राम+पो0- रेवान थाना- मसौडी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	ममता देवी पति- शिव कुमार ग्राम- बभनगांव पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	देवकली देवी पति- गोपी राय ग्राम- मकसुदपुर पो0- गगहारा थाना- शाहपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
46	जगदीश प्रसाद पिता- स्व0 शुक्र प्रसाद ग्राम- मडाच पो0- डुमराव थाना- दीपनगर जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
47	कौशल्या देवी पिता- स्व0 धर्म पासवान ग्राम- जमलीचक पो0- डुमराव थाना- दीपनगर जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

48	सुनैना देवी पिता- स्व० फुलचन पासवान ग्राम- जमालीचक पो०- डुमराव थाना- दीपनगर जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
49	पारो देवी पिता- किसान पासवान ग्राम- जमालीचक पो०- डुमराव थाना- दीपनगर जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
50	वयवती देवी पिता- स्व० नन्द पाडेय ग्राम- मडाच पो०- डुमराव थाना- दीपनगर जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
51	अजय कुमार पिता- अर्जुन सिंह ग्राम- मुतफापुर पो०+थाना- नालदा जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 5,10,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **18940210000786** खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं० UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री

चिकित्सा सहायता कोष*, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

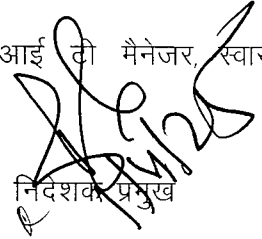
914/14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

932(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अभिषेक
पिता- अनुज सिंह
ग्राम+पो०- सरथा
थाना- वेना
जिला- नालदा
पिनकोड- 803110

पटना, दिनांक 02/4/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अभिषेक पिता- अनुज सिंह ग्राम+पो०- सरथा थाना- वेना जिला- नालदा पिनकोड- 803110	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 43548028004 खाता धारक का नाम- ABHISHEK UNG NEELAM DEVI, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER CHANDIGARH, IFSC कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

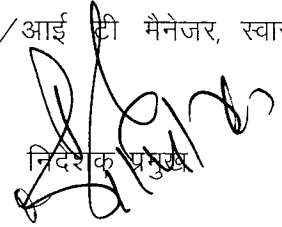
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 932(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिन्ह (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आयेगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.

For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



सर्वोच्च स्तर पर
सुरक्षा

BRANCH: FGTMR, CHANDIGARH
SECTOR 12,

Email: SBI.015240001.CO.IN

Phone No. 0770317

IFSC: SBIN0001524

CUSE. No. 001111109
MICR. 10000200

and. ADHISHEN YOG NEELAM DEVI

DOB: 01/08/2008

IF Number: 91027524980

Account No.: 43540022004

/c Type: REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT

Address: 3/0 ANUJ SINGH BARTHA

CHANDI NALANDA

CHANDI

Phone No.

DOB

DOB (If Minor): 01/08/2008

PC Number:

DOB: 01/08/2008

A/c Opening Dt: 01/08/2008

Mem Reg No:

Customer's PAN: 5432109

Date of Issue: 01/08/2008

FIR

Handwritten signature

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
रोहित कुमार
पिता- सुनील शर्मा
ग्राम+पो०+थाना- चन्दौती
जिला- गया
पिनकोड- 823001

पटना, दिनांक... ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रोहित कुमार पिता- सुनील शर्मा ग्राम+पो०+थाना- चन्दौती जिला- गया पिनकोड- 823001	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 448010510001698 खाता धारक का नाम- ROHIT KUMAR, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- ANUGRAH NARAYANPURI, IFSC कोड सं०- BKID0004480 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 933(14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

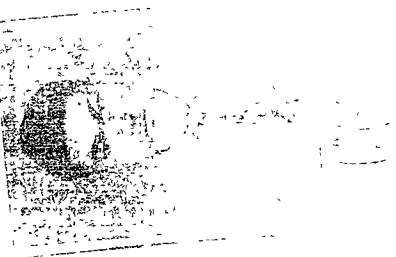
प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 196861 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

MEMBERS



MEMBERS

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

सुधाशु पाठक
पिता- उमेश पाठक
ग्राम- लाला छपरा
पो०+थाना- केसरिया
जिला- पूर्वी चम्पारण
पिनकोड- 845424

पटना, दिनांक..... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुधाशु पाठक पिता- उमेश पाठक ग्राम- लाला छपरा पो०+थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण पिनकोड- 845424	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्य संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 33548180097 खाता धारक का नाम- SUDHANSHU PATHAK, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- State Bank of India, शाखा का नाम- MOTIHARI, IFSC कोड स०- SBIN0001763 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 934 (14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

Generally used abbreviations

Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Amount	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Arrear	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
bal = Balance	DR = Debit	ret/rtn = Return
Capn = Capitalization	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
chg ch = Charge	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chq = Cheque	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
Clos = Closure	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
coll = Collection	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
comm = Commission	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
COR/CORR = Correction	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
CR = Credit	os = Outstanding	txn = Transaction
csh = Cash	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
	Pos = Point of sale	+ MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India



शाखा प्रबंधक
Branch Manager

A/C No. - 33548180092

IFC CODE - SBIN0001763

रु. १६,०००/- पाठ

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

सजीव कुमार
पिता— हरषु चौधरी
ग्राम+पो०— कुकुढा
थाना— ईटाढी
जिला— बक्सर
पिनकोड— 802123

पटना, दिनांक..... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजीव कुमार पिता— हरषु चौधरी ग्राम+पो०— कुकुढा थाना— ईटाढी जिला— बक्सर पिनकोड— 802123	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक— 30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /—(एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 17686/ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०— 2370000100072343 खाता धारक का नाम— SANJIV KUMAR, खाते का प्रकार— बचक खाता, बैंक का नाम— PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम— KUKURHA, IFSC कोड स०— PUNB0237000 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

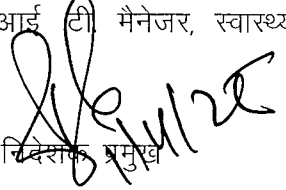
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 935 (14)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196861 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्रमुख

खात विवरण: ACCOUNT PARTICULARS

क्र.सं.	विवरण	देबिट	क्रेडिट	बैलेंस
1	प्रारंभिक बैलेंस			
2	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
3	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
4	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
5	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
6	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
7	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
8	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
9	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
10	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
11	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
12	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
13	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
14	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
15	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
16	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
17	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
18	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
19	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
20	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
21	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
22	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
23	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
24	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
25	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
26	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
27	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
28	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
29	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
30	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
31	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
32	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
33	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
34	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
35	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
36	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
37	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
38	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
39	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
40	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
41	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
42	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
43	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
44	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
45	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
46	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
47	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
48	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
49	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
50	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
51	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
52	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
53	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
54	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
55	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
56	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
57	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
58	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
59	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
60	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
61	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
62	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
63	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
64	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
65	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
66	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
67	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
68	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
69	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
70	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
71	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
72	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
73	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
74	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
75	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
76	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
77	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
78	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
79	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
80	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
81	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
82	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
83	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
84	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
85	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
86	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
87	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
88	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
89	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
90	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
91	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
92	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
93	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
94	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
95	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
96	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
97	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
98	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
99	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			
100	प्रत्येक दिन का प्रत्येक खात			

प्राधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorised Official/Manager

कम्प्यूटर द्वारा सृजित विवरणों पर किसी भी प्रकार का अतिप्रमाणित करने, आयात करने की आवश्यकता नहीं है। कम्प्यूटर द्वारा सृजित पासबुक / विवरणों पर हस्ताक्षरित कम्प्यूटर प्रिण्टिंग न करें।

Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book Statement of account.

पासबुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

पीछे से लाया गया	पी / ला
Brought Forward	B/F
आगे से लाया गया	आ / ले जा
Carried Over	C/O
नकद	नकद
Cash	Cash
चेक	चेक
Cheque	Ch
समाशोधन	स शो
Cleaning	Clg
कमीशन	कमी
Commission	Com
बटुटा	बटुटा
Discount	Disc
लाभदा पत्र	ला पत्र
Dividend Warrant	D/W
ड्राफ्ट	ड्रा
Draft	Dft
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	ईसीएस
Electronic Clearing Services	ECS
प्रासंगिक प्रचार	प्रा प्र
Incidental Charges	I/C
इंटरसोल	आईएसओ
Inter Sol	ISO
ब्याज	ब्याज
Interest	Intt
आवक डाक अंतरण	आई एम टी
Inward Mail Transfer	IMT
स्थानीय चेक / मांग ड्राफ्ट	एल डी डी
Local Cheque/Demand Draft	L D D
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	एनईएफटी
National Electronic Fund Transfer	NEFT
बाहरी चेक / बिल	ओ बी सी
Outstation Cheques / Bills	O B C
बाहरी चेक / खरीद गये बिल	डीडी
Outstation Cheques/Bills Purchased	DD
तत्काल सकल निपटान	आरटीजीएस
Real Time Gross Settlement	RTGS
वापसी	वापसी
Returning	Rtg
अंतरण	अ
Transfer	Tr

बैंक ग्राहक के चौकों को सकारने अथवा भुगतान करने के लिए पिछले दिन के शेष तथा संबंधित दिन से खाते से एटीएम व इंटरनेट द्वारा आहरित प्रविष्टियों का ध्यान रखेगा।

Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance upto the previous day and against clear balance including withdrawals made through Internet Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the account.

कृपया पास बुक न मोड़ें PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK

24 घंटे नि:शुल्क कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध है। 1800180 2222 / 0124-2340000

Toll free 24 hours call centre 18001802222 / 0124-2340000